

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
वृहस्पतिवार, 29 अप्रैल, 2010 / बैसाख 09, 1932 (शक)

संख्या-75

विषय:- सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को उपायुक्त पुलिस जिला मध्य दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

“मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री शोएब इकबाल को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के तहत दिनांक 27.04.2010 को अपराहन 11.50 बजे लोहे के पुल के नीचे, एन.एफ बाजार, दरियागंज, दिल्ली से नज़रबंद किया गया।

उन्हे उसी दिन अपराहन 11.55 बजे रिहा कर दिया गया।”

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Thursday 29th April, 2010/ Vaisakha, 1931(Saka)

No. 75

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, Central Distt. Delhi.

“I have the honour to inform you that Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi; Shri Shoaib Iqbal was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from under Iron Bridge. N.F. Bazar, Darya Ganj, Delhi at 11.50 A.M on 27.4.2010.

He was released at 11.55 A.M on the same date.”

SIDDHARATH RAO

Secretary